

कार्यालय,
सचिव, प्रादेशिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2015/985

लखनऊ दिनांक: 14-5-2015

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2015-16 हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के उपरांत प्रादेशिक शिक्षा परिषद 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अध्यक्ष प्रादेशिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 13/05/2015 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2015-16 में आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं का अनुमोदन विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2015-16 तक सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

निम्न संस्था के निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2015-16 हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन के उपरांत परिषद से सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र पर समिति द्वारा महत्त्व विचार-विमर्श किया गया और निरीक्षण समिति की रास्तुतियों के आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सत्र 2015-16 के लिए निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन परिषद से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, एवं इसको साथ ही संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता हेतु प्रादेशिक शिक्षा परिषद 30प्र0 लखनऊ को सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ए0आई0सी0टी0ई0 की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और परिषद द्वारा कभी भी संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के मायकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी और सोसाइटी/ट्रस्ट के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिये संस्था की संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट स्वयं उत्तरदायी होगी।

निम्नानुसार संघटित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा की गयी रास्तुति एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधारे पर प्रादेशिक शिक्षा परिषद 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2015-16 हेतु उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपर्युक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र 2015-16 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता	अवधि
1.	एफ0 वी0 एम0 टेक्निकल इन्स्टी0 सालगत प्रमाणपत्र-201532.	मिनिम इन्जी -स मिनिमिकल इजी (प्रोब)-स एलेक्ट्रिकल इजी-स	05 वर्ष 03 वर्ष 03 वर्ष

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।



**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

—कार्यालय द्वाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु क्लोना राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के गट-2 में क्लोना इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रचारण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"निम्नी श्रेण में स्थापित क्लोना इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली क्लोना राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु स्वयम् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ता अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/उक्त सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4498	एल0बी0एफ0 टैकनिकल इंस्टीट्यूट जातगांव, प्रतापगढ़।	मिथिल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वैकैणिकल इंजीनियरिंग	60 60 60	60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य विहित विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संचालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले सातनादेश प्रभावी होंगे, और एतदनुसार कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य होगा। बीच निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten Signature)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4498-S.V.M. TECHNICAL INSTITUTE, LALGANJ , PRATAPGARH-230132			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर

प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट कारनामों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/साक्षात्देवी/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बताये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्याज टाकर किया जाता है तथा टाकर ब्याज के संबंध में ए. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठे भूमि, ब्याज, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निष्पक्ष-अद्विधाय हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैकिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, बर्नीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के बाध्यकारुण्य उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्पक्षानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार खोसला)

2/3

दिनांक: 08/08/2021

ए०आई०सी०टी०ई०/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.V.M. TECHNICAL INSTITUTE, LALGANJ, PRATAPGARH-230132